126

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1402–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–5–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 125/2001–01 निगरानी

1– रामस्वरूप 2– हरज्ञान 3– मेवाराम
4– बाचाराम पुत्रगण ल
खपाल
5– बिदुआ 6– श्रीदेवी 7– लोंगा
तीनों पुत्रियॉ लेखपाल जाति गड़रिया
ग्राम गढ़िया मौजा रायपुर तहसील अम्वाह, मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– इन्द्रजीत 2– प्रहलाल 3– रामकली
4– रतिया चारों पुत्र/पुत्री मानपाल
ग्राम बरेथ तहसील व जिला मुरैना
5– रामप्यारी फोत पुत्री मानपाल वारिस
पप्पू पुत्र छोटू वघेले ग्राम बसई
तहसील फिरोजावाद उत्तरप्रदेश ---असल अनावेदक
6– गंगादीन फोत वारिस
(1) ब्रहमजीत(2) प्रेमसिंह पुत्रगण गंगादीन
7– रघुवीर 8– रामौतार 9– सीताराम
10–रामकिशन 11– धर्मासिंह 12– फैलावाई
पुत्र/पुत्री मोतीराम
13– हरदयाल 13– विशाल 15– मोहर सिंह
16– रामभ्यान पुत्रगण छोटेलाल
17– शंभू पुत्र छोटे
18– पंजे 19– उलफत पुत्रगण सोनेराम
20– फूलकुँवर पत्नि स्वर्गीय गोविन्द
21– रामदास पुत्र गोविन्द
22– रामबहादुर पुत्र खेमराज
23– ग्याप्रसाद 24– रघुराज 25– कैलाश पुत्रगण केशर
सभी ग्राम गड़िया तहसील रायपुर, अम्वाह जिला मुरैना

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 16- 1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 125/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-5-2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रायपुर की भूमि सर्वे नंबर 2384/1, 2386/2, 2384/4 , 2384/5 के हिस्सा 2/3 पर नामान्तरण हेतु आवेदकगण एंव स्वर्गीय गंगादीन ने नायव तहसीलदार पोरसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 23/1994-95 अ-6-अ पंजीबद्व हुआ तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7-8-95 पारित किया गया एंव आवेदकगण तथा स्वर्गीय गंगाराम का नामांत्रण भूमिस्वामी स्वत्व पर स्वीकार हुआ। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 44/1995-96 प्रस्तुत हुई। सुनवाई के दौरान गंगादीन की मृत्यु हो गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-6-2001 से मृतक गंगादीन के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 102/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिरनांक 19-8-02 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई, अपर

आयुक्त ने प्रकरण कमांक 125/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-5-2005 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के अपील प्रकरण कमांक 44/1995-96 के उन्मान में मृतक गंगादीन रिस्पाण्डेन्ट कमांक एक रहा है जिसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहित आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 19-6-2001 से स्वीकार किया है। विचार योग्य है कि क्या मृतक पक्षकार के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19-6-2001 में लिया गया निर्णय में किसी प्रकार की त्रृटि है? अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा निगरानी कमांक 102/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 19-8-02 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 125/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-5-2005 में निकाले गये निष्कर्षो में स्वर्गीय गंगादीन के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने वावत् अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश में कमी-वेशी नहीं पाई है और तीनों अधीनस्थ न्यायालय व्दारा निकाले गये निष्कष समवर्ती होने से हस्तक्षेप की गुॅजायश

न्हीं पाता हूॅ जिसके कारण निगरानी सारहीन पाई गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 125/ 2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-5-2005 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर